कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

(10)

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———— से ———— तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **विविध वाद सं०–49/2022–23**

केस का प्रकार– **प्रदीप अग्रवाल वगैरह बनाम् नगीना गंझू वगैरह**

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षकारों को पूर्व से नोटिस निर्गत है। वाद में आदेश हेतु पूर्व से तिथि निर्धारित थी। प्रथम पक्षकार प्रदीप अग्रवाल व अन्य पिता स्व0 गजाधर अग्रवाल बालूमाथ का कहना है कि मौजा बसिया सी0एस0 खाता 47 प्लॉट 881 रकबा 95 डी0 (आर0एस0 खाता 42 प्लॉट 564 रकबा 95 डी0) भूमि वर्ष 1990 में केवाला संख्या 1440 के द्वारा विक्रेता सहदेव गंझू, गुलू गंझू, वरतू गंझू पिता स्व0 जगजीत गंझू ग्राम बसिया बालूमाथ से क्रय की गयी थी। क्रय के पश्चात अंचल कार्यालय बालूमाथ से दाखिल खारिज कराया गया। तत्पश्चात् उक्त भूमि पर जोत कोड़ है। साक्ष्य के रूप में प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि का केवाला, ऑफलाईन लगान रसीद, ऑनलाईन लगान रसीद एवं उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न वाद में पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए अपना दावा स्पष्ट किया। प्रथम पक्षकार का कहना है कि सीमांकन कार्य के दौरान नगीना गंझू व महेश गंझू, अनिल गंझू, दिलीप गंझू इत्यादि के द्वारा सीमांकन कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है एवं डराया धमकाया जा रहा है। इनका कहना है कि हम लोग सी0एस0 खाते में क्रय की गयी भूमि का पंजी-2 अद्यतन अंचल कार्यालय बालूमाथ से करवाकर ऑनलाईन लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक प्राप्त कर चुके है। उक्त भूमि पर मेरा दखल कब्जा है एवं सभी साक्ष्य मेरे पक्ष में है। द्वितीय पक्षकार महेश गंझू व अन्य ग्राम बसिया बालूमाथ का कहना है कि वर्तमान में लातेहार जिला आर0एस0 खाता लागू है एवं आर0एस0 खाता हमारे दादा जगजीत गंझू के नाम से इन्द्राज पाया गया इसलिए यह भूमि पर हमारा अधिकार है। द्वितीय पक्षकार के द्वारा ऑनलाईन लगान रसीद साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया गया।इनका कहना है कि 1990 में जो केवाला किया गया है वह गलत है। मेरे पूर्वज के द्वारा केवाला नही किया गया है। ये केवाला सी0एन0टी0 की धारा 46 (1)(B) का उल्लंघन कर किया गया है इसलिए प्रथम पक्ष को भूमि पर जाने का कोई अधिकार नही है।	

Scanned with CamScanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

उभय पक्षकारों की बातों एवं तर्कों को ध्यान पूर्वक सुना एवं उभय पक्षकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी साक्ष्य, राजस्व दस्तावेज को गंभीरतापूर्ण अवलोकन किया। अवलोकन करने के उपरांत निम्नलिखित तथ्य पाये गये:-

1- प्रश्नगत भूमि मौजा बसिया के सी0एस0 खाता 47 प्लॉट संख्या-881 रकवा 95 डी0 से संबंधित है। जिसका हाल सर्वे मे खतियान आर0एस0 खाता 42 प्लॉट 564 रकवा 95 डी0 पाया गया है।

2- वर्ष 1990 में खतियानी रैयत जगजीत गंझू के पुत्र सहदेव गंझू, गोलु गंझू,
वरतू गंझू के द्वारा 95 डी0 भूमि प्रदीप अग्रवाल वगैरह पिता स्व0 गजाधर लाल
अग्रवाल के नाम से निबंधित किया है। इस निबंधित भूमि के क्रय-विक्रय में
जगजीत गंझू के एक पुत्र नन्कू गंझू पहचानकर्ता बने थे।

3- प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज अंचल अधिकारी के द्वारा वर्ष 1990-91 में
किया गया। जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या- 383/1990-91 पाया गया। वर्ष
1990 से वर्ष 2012-13 तक ऑफलाईन लगान रसीद पाया गया।

4- आर0एस0 खाता में यह भूमि पुनः जगजीत गंझू के नाम से इन्द्राज पाया
गया। इसलिए जगजीत गंझू के पौत्र महेश गंझू के द्वारा उक्त भूमि पर अपना
दावा प्रस्तुत कर रहे है।

5- प्रथम पक्षकार के द्वारा पूर्व में निर्गत ऑफलाईन लगान रसीद, दाखिल खारिज
के आधार पर वर्ष 2020 में अंचल कार्यालय बालूमाथ से पंजी-II अद्यतन कराया
गया। वर्तमान में आर0एस0 खाता से जमाबंदी हो0नं0 02/24 पर प्रथम पक्षकार
के नाम से कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है।

6- सी0एन0टी0 ऐक्ट 1908 के अधीन सम्मिलित एस0सी0 वर्ग के व्यक्ति का
जमीन का निबंधन उपायुक्त की स्वीकृति के पश्चात किया जाता है। चूंकि 1990
में इस भूमि का निबंधन किया गया था तो माना जाता है कि उपायुक्त से
स्वीकृति प्राप्त थी। यदि स्वीकृति प्राप्त नही होती तो जिला अवर निबंधक उक्त
का निबंधन नहीं करता।

7- प्रश्नगत भूमि का क्रय-विक्रय हुए 33 वर्ष बीत चुका है। सी0एन0टी0 ऐक्ट
की धारा 71(A) में Restoration of land का प्रावधान है जिसके लिए समय
सीमा निर्धारित है किन्तु द्वितीय पक्षकार समय रहते इस धारा का लाभ नही प्राप्त
कर सके।

8- माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न वाद में सी0एन0टी0 ऐक्ट की धारा
71(A) के संबंध में, पारित न्यायादेश का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस
... का उपयोग 30 साल के अन्दर किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

9- द्वितीय पक्षकार के द्वारा धारा 71(A) के तहत 30 साल के अन्दर ही Restoration of Land के लिए उपायुक्त न्यायालय या सिविल कोर्ट में अपील नहीं किया गया। इसलिए सी0एन0टी0 ऐक्ट की धारा 46 (1)(B) का उल्लंघन कर प्रथम पक्षकार के द्वारा उक्त भूमि का क्रय किया गया है वह स्वीकार योग्य नहीं है। सीटू साहु बनाम राज्य सरकार सिविल अपील नं0-2414/1999, मनसा मांझी बनाम राज्य सरकार W.P.(C) No. 1225/2019 में पारित न्यायादेश स्पष्ट करते है कि 30 वर्ष के पश्चात् सी0एन0टी0 की धारा 71(A) का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

10- आर0एस0 खाता में भूमि विक्रेता के पूर्वजों के नाम इन्द्राज हो जाने से मात्र द्वितीय पक्ष को लाभ नहीं दिया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं सभी साक्ष्यों को गंभीरता पूर्वक अवलोकन करते हुए मै इस नतीजा पर पहुंचता हूँ कि मौजा बसिया सी0एस0 खाता 47 प्लॉट 881 रकवा 95 डी0 (आर0एस0 खाता 42 प्लॉट 564 रकवा 95 डी0) पर प्रथम पक्षकार अपना दावा एवं हक हैकियत साबित करने में सफल रहे है। द्वितीय पक्षकार समय रहते सी0एन0टी0 ऐक्ट की धारा 71(A) का लाभ नहीं उठा पाये। इसलिए प्रथम पक्षकार को उक्त भूमि पर सीमांकन करने का पूर्ण अधिकार है। इस कार्य में द्वितीय पक्षकार किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। राजस्व कर्मी, अंचल अमीन एवं थाना बालूमाथ को आदेश से अवगत करायें। मेरे इस निर्णय से असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश से सभी पक्षकारों एवं राजस्व कर्मी को अवगत करायें।

लेखापित एवं संशोधित

10.6.23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

10.6.23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ। ①

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० द्वितीय अग्रवाल वगैरह से बनाम नगीना गंझु वगैरह तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **वाद सं०– 41 /2022–23**

केस का प्रकार– ....

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6-1-2023	आवेदक प्रदीप अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, निखिल अग्रवाल और अन्य सभी के पिता स्व० गजाधर अग्रवाल ग्राम+पो०- बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा- बसिया के खाता नं० RS/CS 42/47 प्लॉट नं. 564/861 रकबा 95 डिसमील भूमि का अतिक्रमण एवं ऑनलाइन रसीद निर्गत है। उक्त भूमि की प्राइवेट अमीन द्वारा दिनांक 30.12.2022 को सीमांकन कार्य करवा रहे थे। जिसमें निम्न व्यक्तियों द्वारा मापी कार्य में पूर्ण रूप से रोक की गई। 1. नगीना गंझु की महेश गंझु पिता गुल्लू गंझु 2. [illegible] पिता नगीना गंझु 3. बिंदु गंझु एवं दिलीप गंझु पिता महेश गंझु	B 3103/2022 17/1/23 B 3104/2022

Digitally signed by MD AFTAB ALAM
Date: 2023.09.21 17:02:57 +05:30
Location: 192.168.6.91

Scanned with CamScanner